Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

बंटवारा वाद सं.– 03/2023 सी.आई.एस.क्र.– 03/2023

पारस यादव बनाम गुरूचरण यादव एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
29.01.2026	वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आदेश – 22, नियम – 3, नियम – 9 दिवानी प्रकिया संहिता एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम के आवेदन दिनांक 21.08.2025 एवं 04.06.2025 पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी सं0 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि इस वाद के वादी सं0 1 की मृत्यु दिनांक 22.10.2024 को हो गयी है। वादी सं0 1 पारस यादव अपने पीछे अपने पुत्र रूपक कुमार, सौरभ कुमार को छोड़कर मरे हैं। वादी के जीविका हेतु बाहर रहने के कारण वादी सं0 1 के मृत्यु की जानकारी प्राप्त न होने से नियत समय के भीतर यह आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। अतः निवेदन है कि उपसमन को अपास्त कर विलंब को माफ करते हुये वाद से वादी सं0 1 का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसानो को प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाये। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि वादी के द्वारा जानबूझकर विलंब करने के आशय से यह आवेदन नियत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस कारण से वादी का यह आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस वाद के वादी सं0 1 पारस यादव की मृत्यु दिनांक 22.10.2024 हो गयी है जो अपने पीछे अपने उपरोक्त दो पुत्र को छोड़कर मरे हैं जो वाद के आवश्यक पक्षकार हैं। वादी के द्वारा वादी सं0 1 के मृत्यु की सूचना न होने के कारण यह आवेदन नियत समय के भीतर नहीं लाया जा सका है। अतः न्यायहित में वादी के इस आवेदन को 500 रूपये खर्च पर स्वीकृत कर वाद पत्र से वादी सं0 1 का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसानो को प्रतिस्थापित किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्च वादी को देय होगा। वाद आगामी दिनांक 09.02.2026 वास्ते दिनांक 09.10.2025 के आवेदन पर सुनवाई हेतु। हस्ताक्षर ह0/– अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	